बिहार विधान परिषद् सचिवालय, पटना

''कार्य –संचालन नियमावली के मुद्रण हेतु निविदा का दिशा निर्देश''

1. निविदा के कवर पर संस्थान का नाम एवं दूरभाष संख्या अंकित होना अनिवार्य है एवं उसके साथ प्रेस डेक्लेरेशन संलग्न रहना चाहिए।
2. निविदा के साथ न्यूनतम 07 (सात) वर्ष का कार्यानुभव, फर्म का निबंधन प्रमाण पत्र, अद्यतन आयकर चुकता प्रमाण पत्र एवं वस्तु एवं सेवा कर निबंधन प्रमाण पत्र संलग्न रहना चाहिए।
3. कार्य संचालन नियमावली लगभग 182 पृष्ठों की है। बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली की 500 प्रतियां का मुद्रण के लिए निविदा के साथ स्वीकृत तैयार नमूना संलग्न करना आवश्यक है।
4. मुद्रण आई.टी.सी. 170 जी.एस.एम. मैट पेपर पर होगा।
5. निविदा के साथ संलग्न सभी कागजात स्वअभिप्रमाणित एवं संख्यांकित होना चाहिए।
6. निविदादाता के पास अपनी अत्याधुनिक 04 कलर सेट ऑफसेट एवं 2 कलर हैडलबर्ग साईज (25X36) तथा आधुनिक बाईडिंग सिस्टम से सुसज्जित प्रेस पटना में होना चाहिए।
7. जिस निविदादाता का चयन मुद्रण के लिए किया जाएगा उन्हे उक्त कार्य के लिए जमानत की राशि के रूप में नियमावली हेतु पच्चीस हजार रूपये मात्र का बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा, जो कि निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, बिहार विधान परिषद् के नाम से होगा, जो कि मुद्रण का कार्य संतोषप्रद रहने के पश्चात वापस कर दिया जाएगा।
8. नियमावली के 500 प्रति का मुद्रण कर निश्चित रूप से पत्र प्राप्ति के तीन सप्ताह के अंदर मुद्रित कर आपूर्ति करनी होगी, विलंब होने पर दंड स्वरूप कुल राशि के 05 प्रतिशत की कटौती प्रतिदिन के दर से की जाएगी।
9. निविदादाता को निविदा के साथ अभिप्रमाणित पत्र संलग्न करना होगा जिसमें यह अंकित हो कि उनके फर्म को सरकार अथवा किसी अन्य प्रतिष्ठित (सरकारी अथवा अर्धसरकारी) संस्थान के द्वारा काली सूची में नही रखा गया है, तथा इससे संबंधित कोई मुकदमा दर्ज नही है।
10. सभी प्राक्कलन बिहार विधान परिषद् में दिनांक-04.11.2024 को 01.00 बजे अपराह्न तक सचिव कोषांग में जमा किया जायेगा तथा उसी दिन 04.00 बजे सचिव महोदय के कार्यालय वेश्म में उनके समक्ष खोला जायेगा।
11. नियमावली का नमूना, पृष्ठों की संख्या तथा अन्य जानकारी के संबंध में किसी भी कार्य-दिवस को विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् से संपर्क कर प्राप्त किया जा सकता है। नमूना के अवलोकन तथा अन्य जानकारी प्राप्त करने के पश्चात ही प्राक्कलन परिषद् सचिवालय को समर्पित करें। निविदा (तकनीकी एवं वित्तीय) दो अलग-अलग लिफाफा में होगा।
12. मुद्रक द्वारा नियमावली की सॉफ्ट कॉपी एम.एस. वर्ड एवं पी.डी.एफ. फॉर्मेट में पेन ड्राईव के माध्यम से परिषद् सचिवालय में प्राप्त कराना होगा।
13. उपर्युक्त सभी शर्तों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। अपूर्ण, अस्पष्ट तथा विलम्ब से प्राप्त निविदा पर किसी प्रकार का विचार नहीं होगा।
14. किसी अथवा सभी प्राक्कलन को बिना कारण बताये रद्द या अस्वीकृत करने का अधिकार सचिव, बिहार विधान परिषद् को होगा। निविदा बिहार विधान परिषद् की वेबसाईट-http://biharvidhanparishad.gov.in पर देखा जा सकता है।

17/10/24

(मिथिलेश कुमार झा)
उप सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद्, सचिवालय

निविदा

"बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली"

बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन एवं नियमावली को मुद्रित करने हेतु इच्छुक फर्मों/प्रतिष्ठानों से न्यूनतम दर सहित लिफाफे में निविदाएं दिनांक-04.11.2024 को 01.00 बजे अप० तक सचिव, बिहार विधान परिषद् के नाम से यथा निर्धारित शर्तों के अधीन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित आवश्यक शर्तें एवं निदेश बिहार विधान परिषद् की वेबसाईट-http://biharvidhanparishad.gov.in पर देखी जा सकती है, साथ हीं बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन एवं नियमावली के नमूने, मुद्रित प्रति की संख्या, पृष्ठों की संख्या, आकार तथा अन्य जानकारी किसी भी कार्य दिवस को विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् से प्राप्त किया जा सकता है।

17/10/24

(मिथिलेश कुमार झा)
उप सचिव
बिहार विधान परिषद्।